क्रम संख्या--186

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 फरवरी, 1995

माघ 24, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 383/सत्रह-वि0-1-1 (क) 8-95

लखनऊ, 13 फरवरी, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 11 फरवरी, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1995)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 और धारा 3 दिनांक 16 अक्तूबर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
धारा 4 दिनांक 3 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी;
और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"(3) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिए कर, सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिए प्रभार और वायुशीतन या वातानुकूलन सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रभार के साथ भुगतान पचास पैसे का गुणक न हो वहां उपधारा (1) या उपधारा (2) या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, कर में उस सीमा तक वृद्धि कर दी जाएगी और कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी कि आमोद में प्रवेश के लिए ऐसे भुगतान, कर, सिनेमा परिसर के अनुरक्षण के लिए प्रभार और वायुशीतन या वातानुकूलन सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रभार का कुल योग पचास पैसे के अगले उच्चतर गुणक में पूर्णांकित हो जाए और ऐसे परिवर्धित कर का भी मालिक द्वारा विहित रीति से संग्रह और सरकार को भुगतान किया जायगा।"

धारा 3-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर, शब्द "एक रुपया" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

4--मूल अधिनियम, की धारा 12 में उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
अनुसचिव।

No. 388 (2)/XVII-V-1-1(KA)8-1995
Dated, Lucknow, February 13, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aamod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 11, 1995.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT NO 3 OF 1995)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1995.

(2) Section 2 and section 3 shall be deemed to have come into force on October 10, 1994, section 4 shall be deemed to have come into force on January 3, 1995, and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 28 of 1979

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) Where the payment for admission to an entertainment, together with the tax, charges for maintenance of cinema premises and extra charge for air cooling or air conditioning facility, is not a multiple of fifty paise, then notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or any notification issued thereunder, the tax shall be increased to such extent and be so computed that the aggregate of such payment for admission to entertainment, the tax, charge for maintenance of cinema premises and extra charge for air cooling or air conditioning facility is rounded off to the next higher multiple of fifty paise and such increased tax shall also be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed."

Amendment of section 3-A

3. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*a*), *for* the words "twenty-five paise", the words "One rupee" shall be *substituted*.

Amendment of section 12

4. In section 12 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "two thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. [illegible] of 1994

U.P. Ordinance no. [illegible] of 1995

5. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 1994 and the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 1995 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी० 0-ए० पी० 230 सा० विधा० -(3578)-1995-850 (मेकै०) ।